

June 21, 2025

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai – 400051

BSE – 500495

NSE – ESCORTS

Sub: Newspaper Publication titled “Notice of 79th Annual General Meeting (‘AGM’) and E-voting Information”

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Company has published the enclosed notices, intimating the dispatch of Notice of the 79th AGM and Integrated Annual Report of the Company of financial year 2024-25, and other related information, in the newspapers i.e. Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) dated June 21, 2025.

The above is for your kind information and records.

Thanking You,
Yours faithfully,
for **Escorts Kubota Limited**

Arvind Kumar
Company Secretary

Encl.: As above

जना स्मॉल फाउनेस बैंक		पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ होमग्लूड, कोरमंगला इगर्द रिंग रोड,ईपीएल विजनस पार्क के बगल में, छल्लापट्टा, बैंगलोर-560071 शाखा कार्यालय: 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यूई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005.			
एक अनुसूचित वामिनीक बैंक					
सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना					
जबकि आपने नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, गारंटोर और बंधकर्ताओं में अपनी अवल संपत्तियों को गिरी रखकर जना स्मॉल फाउनेस बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है। आपके द्वारा की गई वृद्ध के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि जिन स्मॉल फाउनेस बैंक लिमिटेड अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता है, और उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रस्तुत शर्तियों का प्रयोग करते हुए सुझा दिया (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटोर/ बंधकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर नवित्थ के ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग सूचना जारी किया गया है। नोटिस की तारीख से, लेखित विनिमय कार्यों से उभरने से कुछ को नोटिस तारीख नहीं किया जा सका।					
क्र. सं.	उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटोर/ बंधकर्ता का नाम	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	लागू की जाने वाली प्रभित्ति का विवरण	एनपीसी की तारीख और रिमांड नोटिस की तारीख	बकाया राशि रुपये में / तिथि से
1.	1) श्री राम चंद्र (आवेदक), 2) श्रीमती नंदिनी (सह-आवेदक), 3) श्रीमती अश्विनी (सह-आवेदक)	ऋण खाता सं. 45289430000292 ऋण राशि: ₹.18,00,00,000 /-)	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: बंधक अवल संपत्ति – अनुसूची संपत्ति: अवल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिसका माप 6 कनाल 3 मरले 6 सरसई (110 वर्ग गज) है, जो 3 कनाल 8 मरले में से 3.7/68 हिस्सा है, जो खेदट संख्या 63, खाता संख्या 94, मरुवा संख्या 14 किला संख्या 19/1/13(8) में शामिल है, जो आदर्श कॉलोनी सिंदपुरा तले जीए हरीयाणा में स्थित है। जो श्री रामचंद्र, पुत्र जयनंदन के स्वामित्व में है। सीमा: पूर्व: गली, पश्चिम: संजीव का घर, उत्तर: गली, दक्षिण: ईश्वर का घर।	एनपीसी की तिथि: 01.09.2024 नोटिस की तिथि: 18.06.2025	₹.20,86,394 /- (रुपये बीस लाख छियासी हजार तीस सौ चौरानवे मात्र)
इसलिए कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटोर और बंधकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे सभी संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के खिलाफ कॉलम नंबर 6 में दर्शाई गई वृद्ध राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तिथि के अनुसार संबंधित ऋण खातों के संबंध में देय पड़े जाते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ कुछ राशि, जो भुगतान की तारीख तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जना स्मॉल फाउनेस बैंक लिमिटेड वॉशिंग्टन संघीय संपत्तियों पर सुझा खाता संख्या 6 के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। कॉलम नंबर 4 में, कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन देर अधिकारों और उपायों पर प्राथमिकता प्रभाव डाले बिना किया गया है जो कानून के हातू तक वित्तीय के उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटोर/ बंधकर्ताओं के खिलाफ जना स्मॉल फाउनेस बैंक लिमिटेड को उपलब्ध है, आसरे आने वह नोट करने का अनुमति किया जाता है कि जो उसा कि उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार, आपको सुरक्षित लेनदार की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुझा का निपटन करने या उससे निपटन या किसी, पड़े या अन्यथा सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण से रोक/निषिद्ध किया जाता है।					
दिनांक: 21.06.2025, स्थान: जीए			हस्ता/ प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाउनेस बैंक लिमिटेड के लिए		

इसलिए कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटोर और बंधकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उससे सभी संबंधित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता के खिलाफ कॉलम नंबर 6 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तिथि के अनुसार संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय हुई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भीषण के ब्याज और अन्य राशियों के साथ जो भुगतान की तारीख कहा देय हो सकता है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जना स्मॉल फाउनेस बैंक लिमिटेड वरिष्ठ संपत्तियों पर सुरक्षा ब्याज चुका करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए ब्याज होगा। कॉलम नंबर 2 में कृपया ध्यान दें कि वह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों पर प्रतिबद्ध प्रभाव डाले बिना किया गया है जो कानून के तहत एक द्वितीय के उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटोर/ बंधकर्ताओं के खिलाफ जना स्मॉल फाउनेस बैंक लिमिटेड को उपलब्ध है, आपसे अगर यह नष्ट करने का अनुभव किया जाता है कि जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको सुरक्षित लेनदार की पूर्ण सहायि के बिना उपरोक्त सुझा का निपटन करने या लेखित निपटने या किसी, पूरे या अंशया सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण से रोक/निषिद्ध किया जाता है।

दिनांक: 21.06.2025, स्थान: रास्ता दिल्ली

हस्ता/ - प्राधिकृत अधिकारी, जना छाॅलॉ फाऊनॅस बैंक लिमिटेड के लिए

श्री/श्री/श्री द्वारा किए गए डिमांड के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि जना स्माल फाउनेस बैंक लिमिटेड अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार है, और प्रतिष्ठित हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रस्तुत शर्तियों का प्रयोग करते हुए एक डिमांड नोटिस जारी किया गया,जिसमें नोटिस नं.2 में उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-ऋणकर्ताओं/ जमानतदारों/ बंधकर्ताओं से कहा गया है कि वे नोटिस में उल्लिखित राशि को नवीत के ब्याज साथ नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुका दें, लेकिन उनमें से कुछ को विनिमय कार्यों से नोटिस नहीं दिया जा सका है।				
क्र. सं.	उधारकर्ता/ सह-सं. उधारकर्ता/ गारंटोर/ बंधकर्ता का नाम	लागू की जाने वाली प्रभित्ति का विवरण	एनपीसी की तारीख और नोटिस की तारीख	बकाया राशि रुपये में / तिथि से

1.	1)मेसर्स श्री श्याम एंटरप्राइजेज, इसके मालिक श्री करमबीर (उधारकर्ता), 2) श्री कर्मबीर (उधारकर्ता), 3) श्री कर्मबीर (उधारकर्ता), 4) श्री कर्मबीर (उधारकर्ता), 5) श्रीमती रंजीतवाही (गारंटोर) 6) श्रीमती निशा देवी (गारंटोर)	ऋण खाता संख्या 451386400000412 451286400000514 451396600002492 ऋण राशि: ₹.80,00,00,000 /- ₹.10,00,00,000 /- ₹.8,00,00,000 /-	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: भाग-ए: बंधक अवल संपत्ति: कंपनी के व्यावसायिक परिसर यानी मेसर्स श्री श्याम एंटरप्राइजेज, अपने मालिक की करमबीर के माध्यम से, दुकान नंबर 2, डीके बिल्डिंग कादरपुर रोड, बादशाहपुर, गुडगांव-122011 के खाता पुस्तकों में सभी कब्जे वाला और स्टॉक और प्राप्य और पुस्तक ऋण पर पहला भाग। भाग-बी: बंधक अवल संपत्ति – अनुसूची संपत्ति – संपत्ति विवरण: कुल रकबा 0 कनाल 18 मरला 2 सरसई, खेदट/खाता नंबर 110/119, किला नंबर 80(3/5) किला 1, माप 3 कनाल 5 मरला (1 हिस्से की सीमा तक बकदार 0 कनाल 16 मरला 2 सरसई और खेदट/ खाता नंबर 108/117, मु. नं.22, किला नंबर 125/10(0-2) किला 1 रकबा 0 कनाल 2 मरला नीचा गांव नूरपुर झारसा, तहसील एवं जिला गुडगांव में स्थित है। श्री कर्मबीर और श्री कर्मबीर, पुत्र श्री रामफल के स्वामित्व में है।	एनपीसी की तिथि: 01.06.2025 मांग नोटिस तिथि: 16.06.2025	12.06.2025 तक ₹.93,99,027.00 (तिराने लाख निगानेबे हजार सत्ताईस रुपये मात्र)
02	1) मेसर्स जेकेएम एंटरप्राइजेज, इसके मालिक श्री वरुण वाही द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री वरुण वाही (उधारकर्ता), 3) मेसर्स वाही स्टेशनरी (गारंटोर), 4) श्रीमती निशा देवी (गारंटोर)	ऋण खाता सं. 30218643831881 302196800002551 302196800002172 30218643831871 302196800002771 302196800002182 ऋण राशि: ₹.32,50,00,000 /- ₹.3,00,00,000 /- ₹.2,19,00,000 /- ₹.35,00,00,000 /- ₹.3,25,00,000 /- ₹.2,35,00,000 /-	सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण: भाग-ए: बंधक अवल परिंसंपत्तियाँ: कंपनी यानी मेसर्स जेकेएम एंटरप्राइजेज, 4121, ग्राउंड फ्लोर, गली सत्ते वाली, नई सड़क, रोशनपुरा, कोरक महिंद्रा बैंक के पास, दिल्ली-110006 और मेसर्स वाही स्टेशनरी नं.3982, गजगाँव (1 हिस्से की सीमा तक बकदार 0 कनाल 16 मरला 2 सरसई और खेदट/ खाता नंबर 108/117, मु. नं.22, किला नंबर 125/10(0-2) किला 1 रकबा 0 कनाल 2 मरला नीचा गांव नूरपुर झारसा, तहसील एवं जिला गुडगांव में स्थित है। श्री कर्मबीर और श्री कर्मबीर, पुत्र श्री रामफल के स्वामित्व में है।	एनपीसी की तिथि: 05.06.2025 मांग नोटिस तिथि: 18.06.2025	17.06.2025 तक ₹.48,10,033.00 (छठ्ठावन लाख दस हजार तैंसीस रुपये मात्र)
03	1)मेसर्स च्यूरेस विल्डर प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक श्री सुरेश कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री सुरेश कुमार (उधारकर्ता), 3) श्रीमती अंजू सैनी (गारंटोर)	ऋण खाता संख्या 4514020000759110 ऋण राशि: ₹.50,93,00,000 /-	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: भाग-ए: बंधक अवल संपत्ति: कंपनी के व्यावसायिक परिसर यानी मेसर्स च्यूरेस विल्डर प्राइवेट लिमिटेड, 42 वाई नंबर 2, जगहन नदीयक क्लब के पास, फतेखनगर, गुडगांव, हरियाणा-122506 के सभी कब्जे माल और खाता पुस्तकों में स्टॉक और प्राप्य और पुस्तक ऋण पर पहला भाग। भाग-बी: बंधक अवल संपत्ति – अनुसूची संपत्ति – संपत्ति विवरण: 1 किंसा हाउस, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, आआदिटेड क्षेत्रफल 200 वर्ग फीट, खसरा संख्या 926/734, 927/735, 932/736 याका सिवाना, मौजा बसई नगर निगम के अंदर, नुब्राम, उप तहसील कादीपुर, जिला नुब्राम। स्वामित्व श्रीमती अंजू सैनी, पत्नी श्री सुरेश कुमार। सीमा: पूर्व: रामलाल की संपत्ति, पश्चिम: मनीषा की संपत्ति, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: अन्य की संपत्ति।	एनपीसी की तिथि: 27.05.2025 मांग नोटिस तिथि: 18.06.2025	17.06.2025 तक ₹.52,87,672.94 (बावन लाख सत्तासी हजार छह सौ बहतर और चौरानवे पैसे मात्र)
04	1)श्री सतबीर सिंह (आवेदक), 2)श्रीमती रंजीत कौर (सह-आवेदक)	ऋण खाता सं. 45849410000014 45849410000109 458494300000103 ऋण राशि: ₹.12,00,00,000 /- ₹.2,97,00,000 /-	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: बंधक अवल संपत्ति – अनुसूची संपत्ति: फरीदकोट-3, अंगवार छिला में स्थित अवल संपत्ति का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश जिसका क्षेत्रफल जमावर्दी वर्ष 2014-15 के अनुसार 239 वर्ग गज, यानी 239/11707, 19 कनाल 07 मरला भूमि का हिस्सा, खसरा नंबर 12552/62974/7-10,6296/6-5-17, 6296/1-1/6-0, खेदट नंबर 514, खतीनी नंबर 976-977 है। श्री सतबीर सिंह, पुत्र श्री करनल सिंह के स्वामित्व में। सीमा: पूर्व: गली, पश्चिम: करनल सिंह का घर, उत्तर: रामू का घर, दक्षिण: सुप्री सिंह का घर।	एनपीसी की तिथि: 11.05.2025 मांग नोटिस तिथि: 18.06.2025	12-06-2025 तक र. 16,41,438.00 (सोलह लाख इक्तासीस हजार चार सौ अड़सीस रुपये मात्र)
05	1) श्री सुरेश चंद (आवेदक), 2) श्रीमती पुष्पा(सह-आवेदक), 3) श्री लावली (सह-आवेदक), 4)श्री ललित कुमार (सह- आवेदक)	ऋण खाता सं. 32029410000033 320294100000200 320294100000196 ऋण राशि: ₹.19,35,00,000 /- ₹.5,00,00,000 /- ₹.2,50,00,000 /-	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण:बंधक अवल संपत्ति-अनुसूची संपत्ति: आनंद नगर-ए, बब्याल, अंबाला के एम.सी. सीमा के भीतर, में स्थित अवल संपत्ति का वह सम्पूर्ण टुकड़ा एवं अंश जिसका आडूडी नंबर 116सी227यू220, इंतकाल नंबर 27358, खेवट नंबर 1462 मि. खतीनी नंबर 2146, खसरा नंबर 10 /1/1/2 क्षेत्रफल 109 वर्ग गज है। 1 म्यूटेनल संख्या 27457 के साथ पठित पंजीकृत ट्रॉसफर डीड संख्या 1037 दिनांक 27.07.2022 के माध्यम से स्वामित्व में। सुरेश चंद, पुत्र श्री हरि चंद के स्वामित्व में है।	एनपीसी की तिथि: 01.06.2025 मांग नोटिस तिथि: 18.06.2025	12-06-2025 तक ₹.26,72,888.00 (रुपये छब्बीस लाख बत्तर हजार आठ सौ अड़सठ मात्र)

इसलिए कॉलम संख्या 2 में वर्णित उधारकर्ता/ सह-ऋणकर्ता/ जमानतदार और बंधकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है,कि उसमें वर्णित सभी संबंधित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता के खिलाफ कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई कुल राशि, जेा कि उक्त राशि संबंधित ऋण खाते के संबंध में कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तारीख को देय पाई जाती है, जो डाक नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कुल राशि नवित्थ के ब्याज और अन्य राशियों के साथ जो भुगतान की तिथि कहा देय हो सकता है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जना स्मॉल फाउनेस बैंक लिमिटेड वरिष्ठ संपत्तियों पर प्रतिष्ठित हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रस्तुत शर्तियों का प्रयोग करते हुए एक डिमांड नोटिस जारी किया गया है, जिसमें नोटिस नं.2 में उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-ऋणकर्ताओं/ जमानतदारों/ बंधकर्ताओं के खिलाफ जना स्मॉल फाउनेस बैंक लिमिटेड को उपलब्ध ऐसे अधिकारों और उपायों पर प्रतिबद्ध प्रभाव डाले बिना प्रकाशित किया गया है, आपसे अगर यह नष्ट करने का अनुभव किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको प्रतिभूति लेनदार की पूर्ण सहायि के बिना उपरोक्त सुझा का निपटन करने या उससे निपटने या प्रतिभूति संपत्ति की किसी, पूरे या अंशया स्थानांतरित करने से प्रतिबधित/निषेध किया जाता है।

दिनांक: 21.06.2025, स्थान: रास्ता दिल्ली

हस्ता/ - प्राधिकृत अधिकारी, कूबो जना छाॅलॉ फाऊनॅस बैंक लिमिटेड के लिए

Escorts Kubota Limited	पंजीकृत कार्यालय:- 15/5, मधुरा रोड, फरीदाबाद – 121003, हरियाणा
एक अनुसूचित वामिनीक बैंक	
एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा लिमिटेड	
सीआईएन: L74899HR1944PLC303908	फोन:- 0129- 22560222; ई-मेल: corp.secretarial@escortskubota.com ;
वेबसाइट: www.escortskubota.com	
79वीं वार्षिक सामान्य बैठक और ई-वोटिंग की सूचना	
इसके माध्यम से सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 79वीं वार्षिक सामान्य बैठक (‘AGM’) बुधवार, 16 जुलाई 2025, को दोपहर 12:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर वीडियो कॉन्फेंसिंग (‘VC’)/ ऑनलाइन वीडियो गैलरी माध्यम (‘OAVM’) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) तथा इसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (‘सं.सी. सूचीकरण विनियम’) के लागू प्रावधानों के अनुरूप, और सामान्य परिपत्र संख्या 14/ म्यूटेनल संख्या 27457 08 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, 2/ 2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, 19/ 2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021, 21/ 2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021, 2/ 2022 दिनांक 05 मई 2022, 10/ 2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, 09/ 2023 दिनांक 25 सितंबर 2023, तथा 09/ 2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 और अन्य लागू परिपत्रों के संदर्भ में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (‘MCA’) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों (संयुक्त रूप से ‘प्रासंगिक परिपत्र’) के अनुसार बुलाई गई है, ताकि एजीएम की सूचना में वर्णित व्यापारिक कार्यों का संचालन किया जा सके।	
सदस्य वीसी / ओपीवीएम के माध्यम से NSDL ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी / ओपीवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरप की गणना के लिए भाग जाएगा।	
प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, (एजीएम की सूचना (‘नोटिस’) और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2024–25 के लिए स्वतंत्र और समेकित वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक तथा निदेशक की रिपोर्ट शामिल है, उन्हें कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया है जिनके ईमेल पते कंपनी/ डिपॉजिटरी सहभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं। और जिन सदस्यों के ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें कंपनी की वेबसाइट लिंक वाला पत्र 20 जून, 2025 को साधारण सूचना के भेजा गया है, जिसके माध्यम से वे एफवाई 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं।	
नोटिस, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक विवरण कंपनी की वेबसाइट www.escortskubota.com , स्टॉक एक्सचेंजों-बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com , तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।	
रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश:	
कंपनी अपना सदस्यों को एजीएम में भागित किया जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (‘ई-वोटिंग’) से मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य NSDL की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके, नीचे उल्लिखित तिथियों में ‘रिमोट ई-वोटिंग’ के माध्यम से अपने मत प्रदान कर सकते हैं।	
इसके अतिरिक्त, एजीएम के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और जो सदस्य एजीएम में भाग ले रहे हैं तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले से मतदान नहीं किया है और जिन्हें मतदान करने से रोकना नहीं है, वे एजीएम के दौरान मतदान कर सकते हैं।	
ई-वोटिंग से संबंधित उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड सहित जानकारी और निर्देश नोटिस में दिए गए हैं।	
एजीएम में वीसी / ओपीवीएम के माध्यम से भाग लेने के लिए उसी लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग किया जाना चाहिए।	
डिमेंट मोड, मौखिक भाषा में शेरर धारकों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान मतदान का तरीका नोटिस में दिया गया है, जो कंपनी की वेबसाइट www.escortskubota.com , स्टॉक एक्सचेंजों-बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com , तथा NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।	
रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं:	

इसके माध्यम से सुचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 79वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('AGM') बुधवार, 16 जुलाई 2025, को दोपहर 12:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('VC')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('OAVM') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रभुत्व और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('स.बी. सूचीकरण विनियम') के लागू प्राधान्यों के अनुरूप, और सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, 2/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021, 2/2022 दिनांक 05 मई 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023, तथा 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 और अन्य लागू परिपत्रों के संदर्भ में कार्यालय कार्य मंत्रालय ('MCA') और भारतीय प्रभुत्व और विनियम बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों (संयुक्त रूप से 'प्रासंगिक परिपत्र') के अनुसार बुलाई गई है, ताकि एजीएम की सूचना में वर्णित व्यापारिक कार्यों का संचालन किया जा सके।

सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से NSDL ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कर कंपनी की गणना के लिए माना जाएगा।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना ('नोटिस') और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2024-25 के लिए स्वतंत्र और समेकित वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षण तथा निदेशक की रिपोर्ट शामिल हैं, उन्हें कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया है जिनके ईमेल पते कंपनी/ डिपॉजिटरी सहभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं और जिन सदस्यों के ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें कंपनी की वेबसाइट लिंक वाला पत्र 20 जून, 2025 को साधारण डाक से भेजा गया है, जिसके माध्यम से वे एफवाई 2024-25 के वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं।

नोटिस, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक विवरण कंपनी की वेबसाइट www.escortskubola.com, स्टॉक एक्सचेंजों-बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com, तथा नेशनल सिनियोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('NSDL') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश:

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में धारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('ई-वोटिंग') से मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य NSDL की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके, नीचे उल्लिखित विधियों में 'रिमोट ई-वोटिंग' के माध्यम से अपने मत प्रदान कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, एजीएम के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और जो सदस्य एजीएम में भाग ले रहे हैं तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले से मतदान नहीं किया है और जिन्हें मतदान करने से रोका नहीं गया है, वे एजीएम के दौरान मतदान कर सकेंगे।

ई-वोटिंग से संबंधित उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड सहित जानकारी निर्देश नोटिस में दिए गए हैं।

एजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के लिए उसी लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग किया जाना चाहिए।

डिमेंट मोड, भौतिक मोड में शेयर धारकों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान मतदान का तत्काल नोटिफिकेशन दिया गया है, जो कंपनी की वेबसाइट www.escortskubola.com, स्टॉक एक्सचेंजों-बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com, तथा NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।